## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 22/2023
अनवान : –

1. बलीमोहम्मद पुत्र रोशनदीन जसति मुसलमान साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।

**–प्रार्थी**

**बनाम्**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

**– अप्रार्थी**

2. रोशनी पत्नी रोशनदीन जाति मुसलमान साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।

**– तरतबी अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती**
**अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट**

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

**निर्णय** दिनांकः 26/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 301/298 की कुल 7.2200 हैक्ट भूमि में सायल व तरतीबी अप्रार्थी स0 2 प्रत्यके के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम रोशनदीन की जगह रोशनी दर्ज़ है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी के पिता का वास्तविक व सही नाम प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में रोशनदीन दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी अपना नाम बलीमोहम्मद पुत्र रोशनी के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम बलीमोहम्मद पुत्र रोशनदीन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज कर देवे तो अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि प्रार्थी की वल्दियत में रोशनी के स्थान पर रोशनदीन किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:30 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम बलीमोहम्मद पुत्र रोशनदीन है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बलीमोहम्मद पुत्र रोशनी दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम बलीमोहम्मद पुत्र रोशनदीन दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसींल नोहर के खाता स0 301/298 की कुल 7.2200 हैक्ट भूमि में सायल व तरतीबी अप्रार्थी स0 2 प्रत्यके के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थी अपना नाम बली मोहम्मद पुत्र रोशनी के स्थान पर बली मोहम्मद पुत्र रोशनदीन दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम बल मोहम्मद पुत्र रोशनदीन अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 301/298 की कुल 7.2200 हैक्ट भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि सायल के नाम दर्ज है, में प्रार्थी का नाम **बलमोहम्मद पुत्र रोशनी के स्थान पर बली मोहम्मद पुत्र रोशनदीन का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच बलीमोम्मद पुत्र रोशनी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बलीमोम्मद पुत्र रोशनी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम बलीमोम्मद पुत्र रोशनी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/03/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया. पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:30 IST
Reason: SelfAttested

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर/सशोधन/2024/312 दिनांक : 27/03/24

**तहसीलदार,**

**नोहर।**

विषय :– प्रकरण स0 22/2023 अनवानी बली मोहम्मद बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 22/2023

अनवान : –

1. बलीमोहम्म्द पुत्र रोशनदीन जसति मुसलमान साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।

**–प्रार्थी**

**बनाम्**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

**– अप्रार्थी**

2. रोशनी पत्नी रोशनदीन जाति मुसलमान साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।

**– तरतबी अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 301/298 की कुल 7.2200 हैक्ट भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि सायल के नाम दर्ज है, में प्रार्थी का नाम **बलीमोहम्मद पुत्र रोशनी के स्थान पर बली मोहम्मद पुत्र रोशनदीन का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच बलीमोम्मद पुत्र रोशनी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बलीमोम्मद पुत्र रोशनी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम बलीमोम्मद पुत्र रोशनी ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:30 IST
Reason: SelfAttested